संख्या– /XXVIII(3)21-23/2021

प्रेषक,

**डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,**
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

**महानिदेशक,**
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–03** **देहरादून : दिनांक21 दिसम्बर, 2021**

**विषय–उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय चिकित्सालयों के उपयोगार्थ औषधियों, सर्जिकल सामग्री, रसायन, चिकित्सकीय उपकरण एवं इम्प्लांट्स के क्रय हेतु नवीन नीति निर्धारण, 2019 में अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–15प/भण्डार/22/2021, दिनांक 09 नवम्बर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सालयों आम जनमानस को निःशुल्क औषधियां उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

2– इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में आम जनमानस को निःशुल्क औषधियां उपलब्ध कराये जाने हेतु औषधि क्रय नीति, 2019 सम्बन्धी शासनादेश संख्या 712/XXVIII– 3–2019–15/2019, दिनांक 27 सितम्बर, 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए, अध्याय–1 के बिन्दु संख्या 1 के उपरान्त नवीन बिन्दु 1A को निम्नानुसार जोड़े जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

**1.A राज्य के समस्त नागरिकों को राजकीय चिकित्सालयों में ओ०पी०डी० के अन्तर्गत निःशुल्क औषधि उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :–**

i. राजकीय चिकित्सालयों में लाभार्थियों/रोगियों हेतु निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता बनाये रखे जाने के लिए सी०पी०एस०यू०ई० हेतु आरक्षित 103 औषधियों को परिधिगत अधिकारियों द्वारा वित्तीय अधिकारों की सीमा तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर/न्यूनतम दर पर क्रय किया जायेगा।

ii. सी०पी०एस०यू०ई० हेतु आरक्षित 103 औषधियों को छोड़कर ई०डी०एल० में सम्मिलित शेष समस्त औषधियों को परिधिगत अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा रेट कान्ट्रेक्टेड (दर अनुबन्धित) फर्मों से वित्तीय अधिकारों की सीमा तक सीधे क्रय किया जा सकता है।

iii. ई०डी०एल० में अंकित ऐसी औषधियां, जिनके दर अनुबन्ध महानिदेशालय स्तर पर न होने के दृष्टिगत्, उनकी उपलब्धता राजकीय चिकित्सालयों/मेडिकल कॉलेजों में बनाये रखने हेतु भारत सरकार से सम्बद्ध ऐसी संस्था, जो जन औषधि केन्द्रों को औषधि की आपूर्ति करती है, से परिधिगत अधिकारियों द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर क्रय किया जायेगा।

iv. उपरोक्त औषधियों के अतिरिक्त यदि कोई ऐसी औषधि जो लाभार्थी/रोगी हेतु आवश्यक/जीवन रक्षक हैं, की आवश्यकता होने पर सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा दिये गये Prescription/परामर्श पत्र पर इसका कारण इंगित करते हुये सम्बन्धित औषधि

हेतु क्रय की गयी समस्त औषधियों का विवरण क्रय किए जाने के कारण सहित प्रतिमाह सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं तदोपरान्त महानिदेशक द्वारा शासन को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका डाटाबेस डिजिटल रूप में भी maintain किया जायेगा।

v. उपरोक्तानुसार निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने वाली सभी औषधियों की मांग एवं आपूर्ति की निरन्तरता ससमय सुनिश्चित करना सम्बन्धित अधिकारियों का दायित्व होगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

vi. यदि औषधि क्रय हेतु उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय चिकित्सालयों के उपयोगार्थ औषधियों, सर्जिकल सामग्री, रसायन, चिकित्सीय उपकरण एवं इम्प्लान्टस के क्रय हेतु प्रचलित नवीन नीति, 2019 का कोई प्रावधान उपरोक्त निर्देशों से इतर होता है तब ऐसी स्थिति में उपरोक्तानुसार निर्देश ही प्रभावी होंगे।

3— इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय चिकित्सालयों के उपयोगार्थ औषधियों, सर्जिकल सामग्री, रसायन, चिकित्सीय उपकरण एवं इम्पलान्टस के क्रय हेतु नवीन नीति निर्धारण, 2019 के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या—712/XXVIII—3—2019—15/2019, दिनांक 27 सितम्बर, 2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उक्त के अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० संख्या—264(म0)XXVII(3)2021—22, दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 में प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।

संख्या 1372 (1)/XXVIII(3)/21—23/2021 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्यचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. औषधि नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०—3/नियोजन विभाग/एन०आई०सी०।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

जसविन्दर कौर

(जसविन्दर कौर)
अनु सचिव

D:\Kapil\Medical\Kapil Letter.docx